कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) (फैक्स) 07766-266740 E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.co.in

क्रमांक/मा.चि./2019/ 148 /धरमजयगढ़, दिनांक 05/2/19

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of forest land for non- forest under forest Conservation Act 1980 Proposed for Small Hydro Electric Project area 6.690 ha. Regarding.
पंजीयन क्रमांक :– FP/CG/HYD/25660/2017

संदर्भ :– **(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र/भू–प्रबंध/विद्युत/एल.एम.– 479–160/3495 दिनांक 15.10.2018 एवं कमांक/ 3498 दिनांक 15.10.2018**

(2) आपका पत्र कमांक/तक./7062 दिनांक 12.11.2018

———0———

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र तारतम्य में प्रतिवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा मलका रिन्युवल एनर्जी प्रा.लि. के प्रकरण Small Hydro Electric Project हेतु रकबा 6.690 हे. के प्रकरण में प्रकरण में प्रभावित क्षेत्र के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डल कवर्धा अन्तर्गत निजी भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 1.811 हे. एवं वन मण्डल खैरागढ़ अन्तर्गत निजी भूमि खसरा नम्बर 54/3 रकबा 5.668 हे. कुल रकबा 7.479 हे. उपलब्ध कराये गये प्रस्तावित क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु लेख किया गया था।

उक्त संबंध में आवेदक संस्थान को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 1.811 हे. एवं खसरा नम्बर 54/3 रकबा 5.668 हे. कुल रकबा 7.479 हे. के संबध में संबंधित वन मण्डलाधिकारी से प्रस्तावित क्षेत्र की वस्तुस्थिति का मौका निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय का पत्र कमांक/मा.चि./4582 दिनांक 04.12.2018 द्वारा लेख किया गया था।

आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी कवर्धा एवं वन मण्डलाधिकारी खैरागढ से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उक्त निजी भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 1.811 हे. एवं खसरा नम्बर 54/3 रकबा 5.668 हे. कुल रकबा 7.479 हे. प्रस्तावित क्षेत्र की वस्तुस्थिति का मौका निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जो आपकी ओर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

संलगन :– उपरोक्तनुसार।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2019/ 149 /धरमजयगढ़, दिनांक 05/2/19

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) वन मण्डलाधिकारी कवर्धा वनमण्डल एवं वन मण्डलाधिकारी खैरागढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।

(3) मेसर्स मलका रिन्युएवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, 7 फ्लोर, माईनर्वा कॉम्प्लेक्स, एस डी रोड, सिकन्दराबाद की ओर सूचनार्थ ।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED

Corp.Office :7th Floor, Minerva Complex, SD Road, SECUNDERABAD – 500 003,
Phone :09866030920, 09301325333
E-mail : naveenmalka@gmail.com, powermalka@gmail.com

दिनांक -29.01.2019

व.म.अ. धरमजयगढ़
29.1.19

प्रति,
वनमंडलाधिकारी महोदय
धरमजयगढ़ वनमंडल,
धरमजयगढ़ - जिला रायगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act-1980 proposed for small hydel electric project area 6.690 hect. regarding.

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /मा.चि./2018 /4582 दिनांक 04.12.2018.

महोदय ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, सन्दर्भित पत्र में चाही गई जानकारी वनमंडलाधिकारी कवर्धा द्वारा उनके पत्र क्रमांक /तक .अधि./185 दिनांक 25 .01 .2019 एवं वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक /मा.चि ./क्ष.पू.वनी./न.क्र.22 -13 /129 दिनांक 23 .01 .2019 के द्वारा दी जा चुकी है (पत्रों कि कॉपी संलग्न है) ।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रकरण में आवश्यक कारवाही करने कि कृपा करें. ।

धन्यवाद्
वास्ते मलका रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

Rohit

महाप्रबंधक

संलग्न –उपरोक्तानुसार

230
01/2/19

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230
E-mail : dfo_kabirdham@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 185
कवर्धा, दिनांक :— 25/01/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू—प्रबंध / व.सं.अ.)
छ.ग.रायपुर

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act. 1980 proposed for small hydro electric project area. 6.690 ha. -regrading. (पंजीयन क्रमांक / FP/CG/HYD/25660/2017)**

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / भू—प्रबंध / विद्युत / 479—160 / 3495 दिनांक 15.10.2018 ।

——✪✪✪——

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार प्रस्तावित क्षेत्र ख.नं. 145 / 1 रकबा 1.811 हे. का मौका निरीक्षण अधिनस्थ उपवनमंडलाधिकारी / परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कराया गया है जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र कक्ष क्रमांक 174 से बाहर है एवं कक्ष की सीमा से लगा हुआ है तथा वृक्षारोपण हेतु वन प्रबंधन की दृष्टि से उचित है।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

पृ.क्र. / तक.अधि. / 186
कवर्धा,दिनांक :— 25/01/2019

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल की ओर उनके पत्र क्रमांक / मा.चि. / 4505 दिनांक 30.11.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक / मा.चि. / क्ष.पू.वनी. / न.क्र.22–13 / 129 खैरागढ़, दिनांक 23/01/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध / व.स.अ.)
छ.ग. रायपुर

विषय :– **Diversion of forest lan d for non-forest purpose under forest conservation Act. 1980 proposed for small hydro electric project area 6.690 ha.-regarding.**

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विद्युत / 479–160 / 3497 दिनांक 15.10.2018

–000–

निवेदन है कि आवेदक संस्थान मेसर्स मलका रिन्युएवल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सिकन्दराबाद द्वारा धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत माण्ड नदी पर 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना लगाये जाने के संबंध में 6.690 हे. वनभूमि की मांग के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसपर पंजीयन क्रमांक **FP/CG/HYD/25660/2017** आबंटित किया गया है।

धरमजयगढ़ वनमण्डल की प्रभावित हो रही 6.690 हे. वनभूमि के विरूद्ध आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये 5.668 हे. समतुल्य गैर वनभूमि (निजी भूमि) साल्हेवारा परिक्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विकासखण्ड का नाम	तहसील	रा.नि.मं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का	खसरा नम्बर	रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छुईखदान	छुईखदान	गंडई	ग्वालगुंडी	04	54/3	5.668	

संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी के तारतम्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3637 दिनांक 23.10.2018 द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा को लेख कर पुनः स्थल सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया। संदर्भित पत्र के साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। स्थल निरीक्षण के समय डी.जी.पी.एस. सर्वे दल, पटवारी हल्का, राजस्व निरीक्षक एवं वन अमले को साथ में रखा गया था। निरीक्षण में यह पाया गया कि उक्त दर्शित भूमि, भूमि स्वामी हक की निजी भूमि है तथा यह भूमि वनकक्ष क्रमांक पी–170 की सीमा के अन्दर है।

परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर वनमंडल के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। उक्त वनकक्ष पी–170 मरकाटोला वनखण्ड के अंतर्गत आता है। स्थिति निम्नानुसार है :–

(1) मरकाटोला संरक्षित वनखण्ड की अधिसूचना राजपत्र में 8544–X–65 दिनांक 31.7.1965 को प्रकाशित कराया गया था इस वनखण्ड में साल्हेवारा परिक्षेत्र का कुल 25 वनकक्ष शामिल है। वनखण्ड अधिसूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) श्री आर.के. शुक्ला द्वारा तैयार की गई वर्किंग स्कीम के अनुसार उक्त वनखण्ड में कुल 27 ग्रामों की 20680 एकड़ अर्थात 8319.32 हे. भूमि शामिल की गई थी।

(3) श्री पी.साहू द्वारा तैयार की गई कार्य आयोजना अवधि 1982–83 से 1996–97 में उक्त वनखण्ड का रकबा 8295.02 हे. बताया गया है।

(4) श्री के.सी. बेवर्ता द्वारा तैयार की गई कार्य आयोजना अवधि 1999–2000 से 2008–09 में उक्त वनखण्ड का रकबा 8325.336 हे. बताया गया है।

(5) वनमंडल स्तर पर तत्कालीन समय मे संधारित किये गये वनखण्ड ब्लाक पंजी के अनुसार 27 ग्रामों से संबंधित भूमि 20680 एकड़ का सर्वे कर उसकी अधिसूचना जारी की गई थी परन्तु यह एरिया पूर्ण रूप से Unsettled (masati) रकबा बताया गया है। अर्थात इस रकबे में स्थिति, जिसमें परिवर्तन संभावित था। क्योंकि मरकाटोला वनखण्ड में शामिल किये गये खसरावार रकबे की स्थिति स्पष्ट नहीं है। एवं यह स्थिति आज भी बनी हुई है।

उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मरकाटोला वनखण्ड के लिये उक्त अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किये गये 20680 एकड़ भूमि Unsettled है। इसलिये यह संभव है कि उपरोक्त दर्शित निजी भूमि जिसे कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित किया गया है अधिसूचित रकबे में शामिल ना हो।

राजस्व अभिलेखों में यह भूमि निजी भूमि है तथा इस भूमि से संबंधित राजस्व ऋण पुस्तिका एवं रजिस्ट्री पत्र तथा खसरा बी–I, पी–II, मिशल रिपोर्ट वर्ष 1971–72, श्री धनराज ताम्रकार अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गई 30 वर्षीय सर्च रिपोर्ट आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा के संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के प्रकाश में वनमंडल में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन पश्चात जैसा कि ऊपर वर्णित है उक्त भूमि निजी भूमि ही है। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा दिये गयें उपयुक्तता प्रमाण पत्र को मान्य करने का अनुरोध है।

संलग्न :–
1. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन
2. वनखण्ड में शामिल वनकक्षों का विवरण
3. वनखण्ड पंजी एवं मानचित्र
4. निजी भूमि से संबंधित अभिलेख

Dalm

वन मंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

क्रमांक/मा.चि./क्ष.पू.वनी./न.क्र.22–13/130 खैरागढ़, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग की ओर संदर्भित पृष्ठांकन के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

(2) वन मंडल अधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल की ओर उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./4400 दिनांक 14.11.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dalm

वन मंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

क्रमांक/मा.चि./क्ष.पू.वनी./न.क्र.22–13/130 A   खैरागढ़, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपि :–

(1) उप वनमंडल अधिकारी गंडई को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा की ओर उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 66 दिनांक 12.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) मेसर्स मलका रिन्युएवल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सिकन्दराबाद को सूचनार्थ अग्रेषित।

वन मंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़